उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2025)

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए-

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 है। (2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, (क) खण्ड 7, 37 और 39 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे; (ख) खण्ड 34 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे; (ग) खण्ड 3 से 6, खण्ड 8, खण्ड 10 से 33, खण्ड 35 और 36 और खण्ड 38 दिनांक 01 नवम्बर, 2024 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे; (घ) खण्ड 2 और 9 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को प्रवृत्त होंगे।
धारा 2 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम (जिसे इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (61) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- '(61) "इनपुट सेवा वितरक " से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आपूर्तिकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के सापेक्ष कर बीजक प्राप्त करता है, जिसमें धारा 25 में संदर्भित विशिष्ट व्यक्तियों के लिए या उसके निमित्त धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अंतर्गत कर के लिए दायी सेवाओं के सम्बन्ध में बीजक सम्मिलित है, और धारा 20 में दी गयी रीति में ऐसे बीजक के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट वितरित करने लिए दायी है;'।
धारा 9 का संशोधन	3.	"मूल अधिनियम" की धारा 9 में, उपधारा (1) में, "मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान" शब्दों के पश्चात् "और मानव उपभोग के लिए शराब के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले गैर-विकृत एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या अविकृत स्प्रिट" शब्द अंत:स्थापित किये जायेंगे।
धारा 10 का संशोधन	4.	"मूल अधिनियम" की धारा 10 में, उपधारा (5) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74 क" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किये जायेंगे।
नयी धारा 11 क का अन्तः स्थापन प्रचलित पद्धति के परिणामस्वरूप उद्गृहित नहीं किये गए या कम उद्गृहित किये गए माल और सेवा कर को वसूल नहीं	5.	"मूल अधिनियम" की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:- "11 क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि — (क) किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर राज्य कर के उद्गृहण (उसके गैर उद्गृहण सहित) के सम्बन्ध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी, या है; और (ख) ऐसी आपूर्तियाँ, जो निम्नलिखित के लिए दायी थी या हैं - (i) उन मामलों में, जहां उक्त पद्धति के अनुसार, राज्य कर उद्गृहित नहीं किया गया था, या उद्गृहित नहीं किया जा रहा है, राज्य कर; या

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

किये जाने की शक्ति		((ii) राज्य कर की ऐसी राशि, जिसे उक्त पद्धति के अनुसार, उद्गृहित किया जा रहा था, या किया जा रहा है, से उच्चतर राशि है, तो सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि ऐसी आपूर्ति पर देय राज्य कर की पूरी राशि, या ऐसी आपूर्ति पर देय राज्य कर की अतिरिक्त राशि, जैसी भी स्थिति हो, उन आपूर्ति के संबंध में जिन पर राज्य कर नहीं लगाया गया था, या नहीं लगाया जा रहा है, या कम लगाया गया था, या कम लगाया जा रहा है, उक्त पद्धति के अनुसार, न तो देय होगी और न ही देय मानी जाएगी ।"।
धारा 13 का संशोधन	6.	"मूल अधिनियम" की धारा 13 में, उपधारा (3) में, (i) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:- "(ख) आपूर्तिकर्ता द्वारा, ऐसे मामलों में, जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी किया जाना अपेक्षित है, बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी किये जाने की तारीख से साठ दिवस के ठीक पश्चातवर्ती तारीख; या"; (ii) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:- "(ग) ऐसे मामलों में जहाँ प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करना है, प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीख:"; (iii) प्रथम परंतुक में, शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर "या खण्ड (ख)", के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अक्षर "या खण्ड (ग)" अंत:स्थापित किये जायेंगे।
धारा 16 का संशोधन	7.	"मूल अधिनियम" की धारा 16 में, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित कर दी जाएंगी, अर्थात्: – "(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए बीजक या डेबिट नोट के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को धारा 39 के अधीन किसी भी विवरणी, जो 30 नवंबर, 2021 तक दाखिल की गयी हो, में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हक़दार होगा। (6) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण धारा 29 के अधीन रदद् किया जाता है और तत्पश्चात् या तो धारा 30 के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा किये गये किसी आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहृत किया जाता है और जहाँ बीजक या नामे (डेबिट) नोट के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ। रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उपधारा (4) के अधीन प्रतिबंधित नहीं था, उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में 39 में दाखिल विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हक़दार होगा,—— (i) उस वित्तीय वर्ष के पश्चातवर्ती 30 नवंबर तक ,जिससे ऐसा बीजक या डेबिट नोट सम्बंधित है दाखिल की जाती है ,या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक, जो भी पहले हो; या (ii) रजिस्ट्रीकरण निरस्त करने की तारीख या रजिस्ट्रीकरण निरस्त करने की प्रभावी तारीख से लेकर, जैसी भी स्थिति हो, रजिस्ट्रीकरण निरस्तीकरण के प्रतिसंहरण करने के आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए, जहां ऐसी विवरणी रजिस्ट्रीकरण निरस्तीकरण के प्रतिसंहरण करने के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, दाखिल की गई हो।"।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

धारा 17 का संशोधन	8.	मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (5) में, खण्ड (झ) में, "धारा 74, धारा 129 और धारा 130" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किसी भी अवधि के सम्बन्ध में धारा 74" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
धारा 20 का संशोधन इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति	9.	"मूल अधिनियम" की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- "20(1) माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के सापेक्ष या धारा 25 में संदर्भित सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अंतर्गत कर के लिए दायी सेवाओं के सम्बन्ध में बीजक सम्मिलित है, से धारा 24 की खण्ड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित होगा और वह ऐसे बीजकों के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट वितरित करेगा। (2) इनपुट सेवा वितरक, उसके द्वारा प्राप्त किये गए बीजकों पर प्रभारित राज्य कर या एकीकृत कर का क्रेडिट, जिसके अंतर्गत धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अंतर्गत उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर के उद्ग्रहण के अधीन रहते हुए सेवाओं के सम्बन्ध में राज्य या एकीकृत कर का क्रेडिट शामिल है, ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन, जैसा कि विहित किया जाए, वितरित करेगा। (3) राज्य कर का क्रेडिट राज्य कर या एकीकृत कर और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में, ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि निहित हो, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, वितरित किया जाएगा।"
धारा 21 का संशोधन	10.	"मूल अधिनियम" की धारा 21 में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74 क" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे।
धारा 30 का संशोधन	11.	"मूल अधिनियम" की धारा 30 में, उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:- "परन्तु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण का प्रतिसंहरण ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होगा, जैसा कि विहित किया जाए।"।
धारा 31 का संशोधन	12.	"मूल अधिनियम" की धारा 31 में, (क) उपधारा (3) में, खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:- "(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे आपूर्तिकर्ता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को माल या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, बीजक जारी करेगा;"; (ख) खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात् :- '*स्पष्टीकरण*- खण्ड (च) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "आपूर्तिकर्ता, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है" में आपूर्तिकर्ता, जो मात्र धारा 51 के अधीन कर की कटौती के लिए रजिस्ट्रीकृत है, सम्मिलित है।"।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

धारा 35 का संशोधन	13.	"मूल अधिनियम" की धारा 35 में, उपधारा (6) में, "धारा 73 या धारा 74 "शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74 क" शब्द,अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे।
धारा 39 का संशोधन	14.	"मूल अधिनियम" की धारा 39 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :- "(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौती किया जाना अपेक्षित है, प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए माह में की गयी कटौती की विवरणी, ऐसे प्ररूप और रीति और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा: परन्तु यह कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा चाहे उक्त माह में कोई कटौती की गयी हो या नहीं। "।
धारा 49 का संशोधन	15.	"मूल अधिनियम" की धारा 49 में, उपधारा (8) में, खण्ड (ग) में, "धारा 73 या धारा 74 "शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74 क" शब्द,अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे।
धारा 50 का संशोधन	16.	"मूल अधिनियम" की धारा 50 में, उपधारा (1) में, परंतुक में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74 क" शब्द,अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे।
धारा 51 का संशोधन	17.	"मूल अधिनियम" की धारा 51 में, उपधारा (7) में, "धारा 73 या धारा 74 "शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74 क" शब्द,अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे।
धारा 54 का संशोधन	18.	"मूल अधिनियम" की धारा 54 में,- (क) उपधारा (3) में, दूसरा परंतुक विलोपित किया जाएगा; (ख) उपधारा (14) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :- "(15) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल की पूर्ति की शून्य दर पूर्ति के कारण अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय या माल की शून्य दर पूर्ति के कारण संदत्त एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहाँ माल की ऐसी शून्य दर पूर्ति निर्यात शुल्क के अध्यधीन है।"।
धारा 61 का संशोधन	19.	"मूल अधिनियम" की धारा 61 में, उपधारा (3) में, "धारा 73 या धारा 74 "शब्दों और अंकों के पश्चात "या धारा 74 क" शब्द,अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे।
धारा 62 का संशोधन	20.	"मूल अधिनियम" की धारा 62 में, उपधारा (1) में, "धारा 73 या धारा 74 "शब्दों और अंकों के पश्चात "या धारा 74 क" शब्द,अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे।
धारा 63 का संशोधन	21.	"मूल अधिनियम" की धारा 63 में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात "या धारा 74 क" शब्द,अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे।
धारा 64 का संशोधन	22.	"मूल अधिनियम" की धारा 64 में, उपधारा (2) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात "या धारा 74 क" शब्द,अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे।
धारा 65 का संशोधन	23.	"मूल अधिनियम" की धारा 65 में, उपधारा (7) में, "धारा 73 या धारा 74 " शब्दों और अंकों के पश्चात "या धारा 74 क" शब्द,अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

धारा 66 का संशोधन	24.	"मूल अधिनियम" की धारा 66 में, उपधारा (6) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात "या धारा 74 क" शब्द,अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे।
धारा 70 का संशोधन	25.	"मूल अधिनियम" की धारा 70 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:- (1क) उपधारा (1) के अंतर्गत समन किये गए सभी व्यक्तियों को या तो व्यक्तिगत रूप से हो या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना अनिवार्य होगा जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षण के दौरान सत्य बोलेगा या बयान देगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो भी अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।"।
धारा 73 का संशोधन	26.	"मूल अधिनियम" की धारा 73 में,- (i) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात् :- "कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से सम्बंधित असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरीके से उपभोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण;"; (ii) उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :- "(12) इस धारा के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से सम्बंधित कर के अवधारण के लिए लागू होंगे"।"
धारा 74 का संशोधन	27.	"मूल अधिनियम" की धारा 74 में,- (i) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात् :- "कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से सम्बंधित असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरीके से उपभोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण;"; (ii) उपधारा (11) के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण – 1 से पूर्व निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :- "(12) इस धारा के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से सम्बंधित कर के अवधारण के लिए लागू होंगे"।" (iii) स्पष्टीकरण 2 विलोपित कर दिया जाएगा।
नयी धारा 74क का अंत:स्थापन वित्तीय वर्ष 2024-25 व इसके अग्रेतर वर्षों के लिये किसी भी कारण से असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरीके से उपभोग या प्रयुक्त किये गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण	28.	"मूल अधिनियम" की धारा 74 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्: "74क. (1) जहां उचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश वापस किया गया है, या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत तरीके से प्राप्त या प्रयुक्त किया गया है, तो वह ऐसे कर से प्रभार्य उस व्यक्ति को , जिसने इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या जिसको त्रुटिवश वापस किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त या प्रयुक्त किया है, यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न वह नोटिस में निर्दिष्ट राशि के साथ-साथ धारा 50 के अधीन देय ब्याज और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत लगने वाले शास्ति का भुगतान करे , नोटिस तामील करेगा :

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

परन्तु यह कि कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, यदि वित्तीय वर्ष में कर जिसका संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश वापस किया गया है या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत तरीके से प्राप्त या प्रयुक्त किया गया है, एक हजार रुपये से कम है।

(2) उचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है या प्रयुक्त किया गया है, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से बयालीस मास के भीतर या गलत प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर, उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी करेगा।

(3) जहां किसी अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, उचित अधिकारी, उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधि से भिन्न ऐसी अवधि के लिए, संदत्त नहीं किये गए या कम संदत्त किये गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किये गए कर या गलत तरीके से प्राप्त या प्रयुक्त किये गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए कर से प्रभार्य व्यक्ति पर विवरण की तामीली कर सकेगा।

(4) ऐसे विवरण की तामीली को उपधारा (1) के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति पर, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि ऐसी अवधि के लिए जो उपधारा (1) के अंतर्गत आच्छादित अवधि से भिन्न है, विश्वास किए गए आधार वहीं है, जिनका पूर्व नोटिस में वर्णन किया गया है, नोटिस की तामीली मानी जाएगी।

(5) उस मामले में जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त गया है या गलत तरीके से वापस किया गया है, या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत तरीके से प्राप्त या प्रयुक्त किया गया है, वहां शास्ति —

(i) कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से ऐसे व्यक्ति से देय कर का दस प्रतिशत या दस हजार रुपये, जो भी अधिक हो, के बराबर होगी;

(ii) कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण ऐसे व्यक्ति से देय कर के बराबर होगी।

(6) उचित अधिकारी, कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन,यदि कोई हो , पर विचार करने के बाद, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की राशि निर्धारित करेगा और आदेश जारी करेगा।

(7) उचित अधिकारी, उपधारा (2) में निर्दिष्ट नोटिस जारी करने की तारीख से बारह महीने के भीतर, उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करेगा:

परन्तु यह कि जहां उचित अधिकारी निर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में असमर्थ है, वहां आयुक्त, या आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी, राज्य कर के संयुक्त आयुक्त के पद से अन्यून किन्तु उचित अधिकारी के पद से वरिष्ठ अधिकारी, उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलम्ब के कारणों को ध्यान में रखते हुए, जो लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे, निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, उक्त अवधि को अधिकतम छह महीने तक बढ़ा सकता है।

(8) कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलत तरीके से वापस किया गया है, या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत तरीके से प्राप्त या प्रयुक्त किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति, —

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		(i) उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामीली से पहले, अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर या उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर, धारा 50 के अधीन ऐसे कर का देय ब्याज सहित भुगतान कर सकेगा और ऐसे भुगतान की सूचना उचित अधिकारी को लिखित रूप में दे सकेगा, और उचित अधिकारी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, उपधारा (1) के अधीन कोई नोटिस या उपधारा (3) के अधीन विवरण, जैसा भी मामला हो, उस कर, जो इस प्रकार भुगतान किया गया है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत देय किसी भी शास्ति, के संबंध में नहीं देगा ; (ii) कारण-बताओ नोटिस जारी होने के साठ दिनों के भीतर धारा 50 के अधीन देय ब्याज सहित उक्त कर का भुगतान कर सकेगा, और ऐसा करने पर, कोई शास्ति देय नहीं होगी और उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी। (9) कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण से, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलत तरीके से वापस किया गया है, या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत तरीके से प्राप्त या प्रयुक्त किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति, — (i) उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामीली से पहले, अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर या उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर, धारा 50 के अधीन देय ब्याज सहित ऐसे कर और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर शास्ति का भुगतान कर सकेगा और ऐसे भुगतान की सूचना उचित अधिकारी को लिखित रूप में दे सकेगा, और उचित अधिकारी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, उपधारा (1) के अधीन कोई नोटिस, उस कर, जो इस प्रकार भुगतान किया गया है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत देय किसी भी शास्ति, के संबंध में नहीं देगा ; (ii) नोटिस जारी होने के साठ दिनों के भीतर धारा 50 के अधीन देय ब्याज सहित उक्त कर तथा ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का भुगतान कर सकेगा, और ऐसा करने पर, कोई शास्ति देय नहीं होगी और उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी। (iii) आदेश के संसूचित होने के साठ दिनों के भीतर धारा 50 के अधीन देय ब्याज और उस कर के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति के साथ उक्त कर का भुगतान कर सकेगा, और ऐसा करने पर, उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी। (10) जहां उचित अधिकारी की राय है कि उपधारा (8) के खण्ड (i) या उपधारा (9) के खण्ड (i) के अधीन भुगतान की गई राशि वास्तव में देय राशि से कम है, वह, उस राशि के संबंध में जो वास्तविक रूप में देय राशि से कम है, उपधारा (1) में यथा उपबंधित नोटिस जारी करेगा। (11) उपधारा (8) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, उपधारा (5) के खण्ड (i) के अधीन शास्ति देय होगी जहां किसी भी स्व-मूल्यांकित कर की राशि या कर के रूप में एकत्र की गई राशि का भुगतान ऐसी कर के भुगतान की नियत तारीख से तीस दिनों के भीतर नहीं किया गया है। (12) इस धारा के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2024-25 व अग्रेतर से संबंधित कर के निर्धारण के लिए लागू होंगे। स्पष्टीकरण 1.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,— (i) "उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियां" अभिव्यक्ति में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां शामिल नहीं होगी;

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		(ii) जहां नोटिस उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन, कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और किन्हीं अन्य व्यक्तियों को , जारी किया जाता है, और मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियां इस धारा के अधीन समाप्त हो गयी हैं, तो धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएगी। स्पष्टीकरण 2. — इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "छिपाना" से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना, जिसे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दी गयी विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है, या उचित अधिकारी द्वारा लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को प्रस्तुत करने में विफलता, अभिप्रेत है।
धारा 75 का संशोधन	29.	"मूल अधिनियम" की धारा 75 में,- (क) उपधारा (1) में, "धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74 क की उपधारा (2) और (7)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे ; (ख) उप-धारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:- "(2क) जहां किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 क की उपधारा (5) के खण्ड (ii) के अंतर्गत शास्ति इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने का आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं किये गए हैं, जिसको नोटिस जारी किया गया था, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा 74 क की उपधारा (5) के खण्ड (i) के अधीन शास्ति देय होगा।"; (ग) उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :- "(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी यदि आदेश धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) या धारा 74 क की उपधारा (7) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है।"; (घ) उपधारा (11) में, "धारा 74 की उपधारा (10)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात "या धारा 74 क की उपधारा (7)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे ; (ङ) उपधारा (12) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात "या धारा 74 क" शब्द,अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे ; (च) उपधारा (13) में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात "या धारा 74 क" शब्द,अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे ;
धारा 104 का संशोधन	30.	"मूल अधिनियम" की धारा 104 की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- "स्पष्टीकरण-धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 क की उपधारा (2) और (7) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा।"।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

धारा 107 का संशोधन	31.	"मूल अधिनियम" की धारा 107 में,- (क) उपधारा (6) में, खण्ड (ख) में, "पच्चीस" शब्द के स्थान पर "बीस" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे ; (ख) उपधारा (11) में, दूसरे परंतुक में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात "या धारा 74 क" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे ;
धारा 112 का संशोधन	32.	"मूल अधिनियम" की धारा 112 में,- (क) 01 अगस्त , 2024 से प्रभावी, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी,अर्थात् :- "(1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील चाही गयी है, अपील चाहने वाले व्यक्ति को संसूचित किये जाने के तीन मास या इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए, तारीख, जैसा कि परिषद की संस्तुति पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो, के भीतर अपील कर सकेगा । "। (ख) 01 अगस्त , 2024 से प्रभावी, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी,अर्थात्:- "(3) आयुक्त, आदेश की विधिमान्यता या औचित्य के संबध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए, स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर, इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को मांग सकता है और परीक्षण कर सकता है और आदेश द्वारा अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को, उक्त आदेश से उद्भुत ऐसे बिन्दुओं, जिसका उल्लेख आयुक्त अपने आदेश में करेगा, के विनिश्चय के लिए उक्त आदेश के पारित होने की तारीख से छह मास के भीतर या इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल करने के लिए, तारीख, जैसा कि परिषद् की संस्तुति पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो, अपील अधिकरण में आवेदन करने का निदेश कर सकता है। " । (ग) उपधारा (6) में " अपील अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में एक अपील स्वीकार कर सकेगा" शब्दों, कोष्ठक, और अंक के स्थान पर "अपील अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर अपील स्वीकार कर सकेगा या उपधारा (3) में संदर्भित अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन माह के भीतर आवेदन दाखिल करने की अनुमति दे सकेगा" शब्द, कोष्ठक, और अंक प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे; (घ) उपधारा (8) में, खण्ड (ख) में,- (i) "बीस प्रतिशत" शब्द के स्थान पर "दस प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे ; (ii) "पचास करोड़ रूपये" शब्द के स्थान पर "बीस करोड़ रूपये" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे।
धारा 122 का संशोधन	33.	"मूल अधिनियम" की धारा 122 की उपधारा (1ख) में, 01 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी, "कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक, जो" शब्दों के स्थान पर, "कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक, जो धारा 52 के अंतर्गत श्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी है," शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

नई धारा 122क का अंत:स्थापन विशेष प्रक्रिया के अनुसार माल के निर्माण में उपयोग की जाने वाली कतिपय मशीनों के पंजीकरण में असफल रहने पर दंड	34.	"मूल अधिनियम की धारा 122 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्: — "122क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, जो उन वस्तुओं के निर्माण में संलग्न है, जिनके संबंध में धारा 148 के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया का उल्लंघन में कार्य करता है, तो उसे, अध्याय 15 या इस अध्याय के किसी अन्य प्रावधान के तहत भुगतान की गई या देय किसी भी शास्ति के अतिरिक्त, प्रत्येक मशीन के लिए जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रुपये की राशि के बराबर शास्ति के लिए दायी होगा। (2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, प्रत्येक मशीन जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, अभिग्रहण और जब्ती के लिए उत्तरदायी होगी: परन्तु ऐसी मशीन जब्त नहीं की जाएगी जहां— (क) अधिरोपित शास्ति का भुगतान कर दिया गया है; और (ख) शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर विशेष प्रक्रिया के अनुसार ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण किया गया है।".
धारा 127 का संशोधन	35.	"मूल अधिनियम" की धारा 127 में, "धारा 73 या धारा 74 "शब्दों और अंकों के पश्चात "या धारा 74 क" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित कर दिए जायेंगे।
नयी धारा 128क का अंत:स्थापन धारा 73 के अधीन सृजित मांग से सम्बंधित ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन	36.	"मूल अधिनियम" की धारा 128 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:— "128क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा कर से प्रभार्य कोई कर की धनराशि, देय है, — (क) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी नोटिस या धारा 73 की उपधारा (3) के अधीन जारी विवरण, और जहां धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है; या (ख) धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या (ग) धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 की अवधि या उसके किसी भाग से संबंधित, और उक्त व्यक्ति, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से या उससे पूर्व यथास्थिति, नोटिस या विवरण या आदेश के अनुसार देय कर की पूरी राशि का भुगतान करता है, जैसा कि खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में संदर्भित है, यथास्थिति, धारा 50 के अधीन कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति देय नहीं होगी और उक्त नोटिस या विवरण या बयान के संबंध में सभी कार्यवाही, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाये, समाप्त मानी जाएगी, परन्तु यह कि जहां धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, और धारा 75 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में उचित अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है या पारित किया जाना अपेक्षित है, उक्त नोटिस या आदेश को इस उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में संदर्भित नोटिस या आदेश माना जाएगा, जैसी भी स्थिति हो:

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाहियों का समापन, उन मामलों में जहां, खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट आदेश या प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के विरुद्ध, धारा 107 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन कोई आवेदन दाखिल किया जाता है या धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 118 की उपधारा (1) के अधीन राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा अपील दाखिल की जाती है या जहां धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं, इस शर्त के अधीन होगा कि उक्त व्यक्ति, यथास्थिति, अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार, देय कर की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, का भुगतान उक्त आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर करता है: परंतु यह भी कि जहां ऐसा ब्याज और शास्ति का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, वहां उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा । (2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात उस राशि के संबंध में लागू नहीं होगी जो व्यक्ति द्वारा गलत प्रतिदाय के कारण देय है। (3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी जहां उक्त व्यक्ति द्वारा दायर की गई अपील या रिट याचिका यथास्थिति अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय के समक्ष लंबित है, और उक्त व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तिथि पर या उससे पहले वापस नहीं ली गई है। (4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किसी राशि का भुगतान किया गया है और उक्त उप-धारा के अधीन कार्यवाही को समाप्त समझा गया है, वहां धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील यथास्थिति उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध नहीं होगी।
धारा 171 का संशोधन	37.	"मूल अधिनियम" की धारा 171 में,- (क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:- 'परन्तु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को निर्दिष्ट कर सकेगी , जिससे उक्त प्राधिकारी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए जाने या कर की दर में कमी के परिणामस्वरूप उसके द्वारा आपूर्ति की गयी माल और सेवाओं या दोनों की कीमत में समानुपातिक कमी हुई है या नहीं, की परीक्षण के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा । स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "परीक्षण के लिए अनुरोध" का अर्थ वह लिखित आवेदन है जो किसी आवेदक द्वारा यह परीक्षा करने के लिए दाखिल किया गया है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट या कर की दर में कमी के परिणामस्वरूप उसके द्वारा आपूर्ति की गयी माल और सेवाओं या दोनों की कीमत में समानुपातिक कमी हुई है या नहीं । ' ; (ख) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुन:क्रमांकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1, जो इस प्रकार पुन:क्रमांकित किया गया है, के पश्चात् स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- 'स्पष्टीकरण 2- इस धारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "प्राधिकारी" में "अपीलीय अधिकरण " सम्मिलित होगा ।' ।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

अनुसूची 3 में संशोधन	38.	"मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में, प्रस्तर 8 के बाद और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व, निम्नलिखित प्रस्तर अंत: स्थापित किये जाएंगे, अर्थात्: — "9. सह-बीमा समझौतों में बीमाकृत को मुख्य बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की गई बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के विभाजन का क्रियाकलाप, इस शर्त के अधीन कि मुख्य बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम की पूरी राशि पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर का भुगतान किया गया है। 10. बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को प्रदान की गई सेवाएं, जिसके लिए बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को भुगतान किये गए पुनर्बीमा प्रीमियम से सीडिंग कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन की कटौती की गयी है, इस शर्त के अधीन कि बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को देय सकल पुनर्बीमा प्रीमियम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर का भुगतान किया गया है, जिसमें उक्त सीडिंग कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन शामिल है।"."
संदत्त किये गए कर या विलोमित किये गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिदाय नहीं किया जाना	39.	संदत्त किये गए समस्त कर या विलोमित किये गए इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो संदत्त नहीं किया गया होता या विलोमित नहीं किया गया होता, यदि धारा 7 सभी तात्विक समय पर प्रभावी होती, का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

THE UTTARAKHAND GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2025

(Uttarakhand Bill No. of 2025)

A

Bill

further to amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017)-

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows: -

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025.

(2) Save as otherwise provided, in this Act,

(a) the provisions mentioned in clauses 7, 37 and 39 shall be deemed to have come into force on the 27th day of September, 2024;

(b) the provisions mentioned in clause 34 shall be deemed to have come into force on the 01st day of October, 2024;

(c) the provisions mentioned in clauses 3 to 6, clause 8, clauses 10 to 33, clause 35 and 36 and clause 38 shall be deemed to have come into force on the 01st day of November, 2024;

(d) the provisions mentioned in clause 2 and 9 shall come into force on the 01st day of April, 2025.

Amendment of section 2

2. In the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Principal Act), in section 2, for clause (61), the following clause shall be substituted, namely: –

'(61) "Input Service Distributor" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20;'.

Amendment of section 9

3. In the Principal Act, in section 9, in sub-section (1), after the words "alcoholic liquor for human consumption", the words "and un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor, for human consumption" shall be inserted.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Amendment of section 10

4. In section 10 of the Principal Act, in sub-section (5), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

Insertion of new section 11A.

Power not to recover Goods and Services Tax not levied or short-levied as a result of general practice

5. After section 11 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely: —

"11A. Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is satisfied that—

(a) a practice was, or is, generally prevalent regarding levy of state tax (including non-levy thereof) on any supply of goods or services or both; and

(b) such supplies were, or are, liable to, —

(i) state tax, in cases where according to the said practice, state tax was not, or is not being, levied, or

(ii) a higher amount of state tax than what was, or is being, levied, in accordance with the said practice,

the Government may, on the recommendation of the Council, by notification in the Official Gazette, direct that the whole of the state tax payable on such supplies, or, as the case may be, the state tax in excess of that payable on such supplies, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the supplies on which the state tax was not, or is not being levied, or was, or is being, short-levied, in accordance with the said practice."

Amendment of section 13

6. In section 13 of the Principal Act, in sub-section (3), --

(i) For clause (b), the following clause shall be substituted, namely: —

"(b) the date immediately following sixty days from the date of issue of invoice or any other document, by whatever name called, in lieu thereof by the supplier, in cases where invoice is required to be issued by the supplier; or";

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely: —

"(c) the date of issue of invoice by the recipient, in cases where invoice is to be issued by the recipient:";

(iii) in the first proviso, after the words, brackets, and letter "or clause (b)", the words, brackets and letter "or clause (c)" shall be inserted.

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Amendment of section 16

7. In section 16 of the Principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017, after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely: —

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed up to the thirtieth day of November, 2021.

(6) Where registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under sub-section (4) on the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both, in a return under section 39,—

(i) filed up to thirtieth day of November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier; or

(ii) for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration, whichever is later.".

Amendment of section 17

8. In section 17 of the Principal Act, in sub-section (5), in clause (i), for the words and figures "sections 74, 129 and 130", the words and figures "section 74 in respect of any period up to Financial Year 2023-24" shall be substituted.

Amendment of section 20

Manner of distribution of credit by Input Service Distributor

9. For section 20 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely: —

" 20(1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, shall be required to be registered as Input Service Distributor under clause (viii) of

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices.

(2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of state tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of state or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 paid by a distinct person registered in the same State as the said Input Service Distributor, in such manner, within such time and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.

(3) The credit of state tax shall be distributed as state tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or state tax, by way of issue of a document containing the amount of input tax credit, in such manner as may be prescribed.".

Amendment of section 21

10. In section 21 of the Principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

Amendment of section 30

11. In section 30 of the Principal Act, in sub-section (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: — "Provided further that such revocation of cancellation of registration shall be subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".

Amendment of section 31

12. In section 31 of the Principal Act, —

(a) in sub-section (3), for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: —

"(f) a registered person who is liable to pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 shall within the period as may be prescribed issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both ;";

(b) after clause (g), the following Explanation shall be inserted, namely: —

'Explanation. —For the purposes of clause (f), the expression "supplier who is not registered" shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under section 51.'.

Amendment of section 35

13. In section 35 of the Principal Act, in sub-section (6), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Amendment of section 39

14. In section 39 of the Principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely: —

"(3) Every registered person required to deduct tax at source under section 51 shall electronically furnish a return for every calendar month of the deductions made during the month in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month.".

Amendment of section 49

15. In section 49 of the Principal Act, in sub-section (8), in clause (c), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

Amendment of section 50

16. In section 50 of the Principal Act, in sub-section (1), in the proviso, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

Amendment of section 51

17. In section 51 of the Principal Act, in sub-section (7), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

Amendment of section 54

18. In section 54 of the Principal Act, —

(a) in sub-section (3), the second proviso shall be omitted;

(b) after sub-section (14) and before the Explanation, the following sub-section shall be inserted, namely: —

"(15) Notwithstanding anything contained in this section, no refund of unutilised input tax credit on account of zero-rated supply of goods or of integrated tax paid on account of zero-rated supply of goods shall be allowed where such zero-rated supply of goods is subjected to export duty.".

Amendment of section 61

19. In section 61 of the Principal Act, in sub-section (3), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

Amendment of section 62

20. In section 62 of the Principal Act, in sub-section (1), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

Amendment of section 63

21. In section 63 of the Principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Amendment of section 64

22. In section 64 of the Principal Act, in sub-section (2), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

Amendment of section 65

23. In section 65 of the Principal Act, in sub-section (7), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

Amendment of section 66

24. In section 66 of the Principal Act, in sub-section (6), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

Amendment of section 70

25. In section 70 of the Principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely: —

"(1A) All persons summoned under sub-section (1) shall be bound to attend, either in person or by an authorised representative, as such officer may direct, and the person so appearing shall state the truth during examination or make statements or produce such documents and other things as may be required.".

Amendment of section 73

26. In section 73 of the Principal Act, —

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely: —

"Determination of tax, pertaining to the period up to Financial Year 2023-24, not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized for any reason other than fraud or any wilful misstatement or suppression of facts.".

(ii) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely: —

"(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.".

Amendment of section 74

27. In section 74 of the Principal Act, —

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely: —

"Determination of tax, pertaining to the period up to Financial Year 2023-24, not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized by reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts.".

(ii) after sub-section (11) and before Explanation 1, the following sub-section shall be inserted, namely: —

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

"(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.";

(iii) the Explanation 2 shall be omitted.

Insertion of new section 74A.

28. After section 74 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely: —

Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason pertaining to Financial Year 2024-25 onward

"74A. (1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder:

Provided that no notice shall be issued, if the tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised in a financial year is less than one thousand rupees.

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) within forty-two months from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within forty-two months from the date of erroneous refund.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The penalty in case where any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, —

(i) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be equivalent to ten per cent. of tax due from such person or ten thousand rupees, whichever is higher;

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(ii) for the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person.

(6) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order.

(7) The proper officer shall issue the order under sub-section (6) within twelve months from the date of issuance of notice specified in sub-section (2):

Provided that where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the Commissioner, or an officer authorised by the Commissioner senior in rank to the proper officer but not below the rank of Joint Commissioner of State Tax, may, having regard to the reasons for delay in issuance of the order under sub-section (6), to be recorded in writing, before the expiry of the specified period, extend the said period further by a maximum of six months.

(8) The person chargeable with tax where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may, —

(i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information shall not serve any notice under sub-section (1) or the statement under sub-section (3), as the case may be, in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 within sixty days of issue of show cause notice, and on doing so, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(9) The person chargeable with tax, where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may, —

(i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

equivalent to fifteen per cent. of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty-five per cent. of such tax within sixty days of issue of the notice, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded;

(iii) pay the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent. of such tax within sixty days of communication of the order, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(10) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under clause (i) of sub-section (8) or clause (i) of sub-section (9) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(11) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (ii) of sub-section (8), penalty under clause (i) of sub-section (5) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.

(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the Financial Year 2024-25 and onwards.

Explanation 1.—For the purposes of this section, —

(i) the expression "all proceedings in respect of the said notice" shall not include proceedings under section 132;

(ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under this section, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 122 and 125 are deemed to be concluded.

Explanation 2. —For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.

Amendment of section 75

29. In section 75 of the Principal Act, —

(a) in sub-section (1), after the word, brackets and figures "sub-sections (2) and (10) of section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-sections (2) and (7) of section 74A" shall be inserted;

(b) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely: –-

"(2A) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the penalty under clause (ii) of sub-section (5) of section 74A is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the penalty shall be payable by such person, under clause (i) of sub-section (5) of section 74A.";

(c) for sub-section (10), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within the period specified in sub-section (10) of section 73 or in sub-section (10) of section 74 or in sub-section (7) of section 74A.";

(d) in sub-section (11), after the word, brackets and figures "sub-section (10) of section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-section (7) of section 74A" shall be inserted;

(e) in sub-section (12), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted;

(f) in sub-section (13), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

Amendment of section 104

30. In section 104 of the Principal Act, in sub-section (1), for the Explanation the following Explanation shall be substituted; namely:-

"**Explanation.**—The period beginning with the date of such advance ruling and ending with the date of order under this sub-section shall be excluded while computing the period specified in sub-sections (2) and (10) of section 73 or sub-sections (2) and (10) of section 74 or sub-sections (2) and (7) of section 74A." .

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Amendment of section 107

31. In section 107 of the Principal Act, —

(a) in sub-section (6), in clause (b), for the word "twenty-five", the word "twenty" shall be substituted;

(b) in sub-section (11), in the second proviso, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

Amendment of section 112

32. In section 112 of the Principal Act, —

(a) with effect from the 1st day of August, 2024, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely: —

"(1) Any person aggrieved by an order passed against him under section 107 or section 108 of this Act or the Central Goods and Services Tax Act may appeal to the Appellate Tribunal against such order within three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for filing appeal before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later.".

(b) with effect from the 1st day of August, 2024, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely: —

"(3) The Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of Central tax call for and examine the record of any order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act or the Central Goods and Services Tax for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Tribunal within six months from the date on which the said order has been passed or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for the purpose of filing application before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later, for determination of such points arising out of the said order as may be specified by the Commissioner in his order.".

(c) in sub-section (6), for the words, brackets and figure "The Appellate Tribunal may admit an appeal within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (1)", the words, brackets and figure, "The Appellate Tribunal may admit an appeal within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (1) or permit the filing of an application within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (3)" shall be substituted;

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(d) in sub-section (8), in clause (b), —

(i) for the words "twenty per cent.", the words "ten per cent." shall be substituted;

(ii) for the words "fifty crore rupees", the words "twenty crore rupees" shall be substituted.

Amendment of section 122

33. In section 122 of the Principal Act, with effect from the 1st day of October, 2023, in sub-section (1B), for the words "Any electronic commerce operator who", the words and figures "Any electronic commerce operator, who is liable to collect tax at source under section 52," shall be substituted.

Insertion of new section 122A
Penalty for failure to register certain machines used in manufacture of goods as per special procedure

34. After section 122 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely: —

"122A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person, who is engaged in the manufacture of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machines has been notified under section 148, acts in contravention of the said special procedure, he shall, in addition to any penalty that is paid or is payable by him under Chapter XV or any other provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees for every machine not so registered.

(2) In addition to the penalty under sub-section (1), every machine not so registered shall be liable for seizure and confiscation:-

Provided that such machine shall not be confiscated where—

(a) the penalty so imposed is paid; and

(b) the registration of such machine is made in accordance with the special procedure within three days of the receipt of communication of the order of penalty.".

Amendment of section 127

35. In section 127 of the Principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

Insertion of new section 128A.
Waiver of interest or penalty or both relating to demands raised under section 73, for certain tax periods.

36. After section 128 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely: —

"128A. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with, —

(a) a notice issued under sub-section (1) of section 73 or a statement issued under sub-section (3) of section 73, and where no order under sub-section (9) of section 73 has been issued; or

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(b) an order passed under sub-section (9) of section 73, and where no order under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108 has been passed; or

(c) an order passed under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108, and where no order under sub-section (1) of section 113 has been passed,

pertaining to the period from 1st July, 2017 to 31st March, 2020, or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, on or before the date, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, no interest under section 50 and penalty under this Act, shall be payable and all the proceedings in respect of the said notice or order or statement, as the case may be, shall be deemed to be concluded, subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that where a notice has been issued under sub-section (1) of section 74, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, the said notice or order shall be considered to be a notice or order, as the case may be, referred to in clause (a) or clause (b) of this sub-section:

Provided further that the conclusion of the proceedings under this sub-section, in cases where an application is filed under sub-section (3) of section 107 or under sub-section (3) of section 112 or an appeal is filed by an officer of state tax under sub-section (1) of section 117 or under sub-section (1) of section 118 or where any proceedings are initiated under sub-section (1) of section 108, against an order referred to in clause (b) or clause (c) or against the directions of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court referred to in the first proviso, shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be, within three months from the date of the said order:

Provided also that where such interest and penalty has already been paid, no refund of the same shall be available.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of any amount payable by the person on account of erroneous refund.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(3) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person is pending before Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under sub-section (1).

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any amount specified under sub-section (1) has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said sub-section, no appeal under sub-section (1) of section 107 or sub-section (1) of section 112 shall lie against an order referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1), as the case may be.".

Amendment of section 171

37. In section 171 of the Principal Act, —

(a) in sub-section (2), the following proviso and Explanation shall be inserted, namely: —

'Provided that the Government may by notification, on the recommendations of the Council, specify the date from which the said Authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation. —For the purposes of this sub-section, "request for examination" shall mean the written application filed by an applicant requesting for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.';

(b) the Explanation shall be renumbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 as so renumbered, the Explanation shall be inserted, namely: —

'Explanation 2. —For the purposes of this section, the expression "Authority" shall include the "Appellate Tribunal".'.

Amendment of Schedule III

38. In Schedule III to the Principal Act, after paragraph 8 and before Explanation 1, the following paragraphs shall be inserted, namely: —

"9. Activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in co-insurance agreements, subject to the condition that the lead insurer pays the central tax, the State tax, the Union territory tax

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

and the integrated tax on the entire amount of premium paid by the insured.

10. Services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, subject to the condition that the central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the said ceding commission or the reinsurance commission.".

No refund of tax paid or input tax credit reversed

39. No refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which would not have been so paid, or not reversed, had section 7 been in force at all material times.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड